

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण:-

- ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी
जिला पाली जारिय ग्राम विकास
अधिकारी ग्रा.प. कोटडी तह. देसूरी
- सोनी पत्नी जगदराम जारिय तह.
निवासी कोटडी तह. देसूरी जिला
पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 236/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/265)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	मह. नं. अहकाम नं. 26 हुक्म नं. 26 दिनांक
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (गुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण उक्त रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली</p>	<p>क्र. 522 दि. 19/03/24 जो बाली पाली।</p>
22/5/24	<p>पत्रावली उद्धृत हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पर उद्धृत कर निवेदन किया कि इस निगरानी के अंतर्गत नहीं चलता थाइत अतः स्वामीय फिर्माफा जमा उद्धृत निगरानी के अंतर्गत विहीन खारीज किया जाता है। पत्रावली के तहत प्रमाण होकर नम्बर के अंतर्गत फिर्माफे इजलास प्रमाण वापस।</p> <p style="text-align: center;">Mun 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>मदनसिंह अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>